नकल पर देय स्टाम्प....15....

असल पर देय स्टाम्प....113000....

विक्रय – विलेख

1.	मालियत विक्रय प्रतिफल	:–	7,50,000/–रूपये
2.	बाजारी मूल्य जिसपर स्टाम्प शुल्क दिया गया	:–	14,10,000/–रूपये
3.	स्टाम्प शीट संख्या	:–	
4.	स्टाम्प शुल्क	:–	1,41,000/–रूपये
5.	अनुबन्ध पत्र के समय दिया स्टाम्प शुल्क	:–	58,500 + 54,500 = 1,13,000
6.	इस लेख पत्र के समय दिया जा रहा स्टाम्प	:–	28,000/–रूपये
7.	प्रमुख क्षेत्र	:–	ग्राम नौगांव विकासखण्ड, सहसपुर तहसील विकासनगर जिला देहरादून
8.	क्षेत्र	:–	उपरोक्त
9.	सर्किल रेट	:–	10,00,000/–रूपये प्रति हैक्टयर की दर से
10.	भूमि का प्रकार	:–	असिंचित
11.	प्रमुख मार्ग से दूरी तथा ग्रामीण मार्ग से दूरी	:–	विक्रीत भूमि मुख्य सड़क चकराता रोड से लगभग 12 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र मे
12.	विवरण भूमि	:–	विक्रय पत्र की सूची मे वर्णित है

13. विक्रेतागण का नाम व पता :– 1. श्री सुधीर बंसल पुत्र स्व0 एच0पी0 बंसल निवासी 60 गांधी रोड देहरादून व 2. श्रीमती शालिनी बंसल पत्नी श्री सुधीर बसंल निवासी सहस्त्रधारा रोड देहरादून दोनो द्वारा अपने सगे भाई एवं जेठ तथा पंजीकृत मुख्तारेआम श्री संजय बंसल पुत्र स्व0 श्री एच0पी0 बंसल निवासी 32/4 गांधी रोड देहरादून। जिसको इस विक्रय विलेख मे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है ।

14. क्रेता का नाम व पता :– श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री संजय बंसल सचिव उत्तराखण्ड उत्थान समिति 32/4 ईसी रोड देहरादून जिसको इस विक्रय विलेख मे " क्रेता " कहकर सम्बोधित किया गया है ।

15. रचयिता का नाम :– बी0सी0 मिन्हास (एडवोकेट) विकासनगर

419

2

विक्रय – विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 14.03.207 को स्थान तहसील विकासनगर जिला देहरादून मे 1. श्री सुधीर बंसल पुत्र स्व0 एच0पी0 बंसल निवासी 60 गांधी रोड देहरादून व 2. श्रीमती शालिनी बंसल पत्नी श्री सुधीर बसंल निवासी सहस्त्रधारा रोड देहरादून दोनो द्वारा अपने सगे भाई एवं जेठ तथा पंजीकृत मुख्तारेआम श्री संजय बंसल पुत्र स्व0 श्री एच0पी0 बंसल निवासी 32/4 गांधी रोड देहरादून। जिसको इस विक्रय विलेख मे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है ।

..............................विक्रेता

एवम्

श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री संजय बंसल सचिव उत्तराखण्ड उत्थान समिति 32/4 ईसी रोड देहरादून जिसको इस विक्रय विलेख मे " क्रेता " कहकर सम्बोधित किया गया है ।

..............................क्रेता

विदित हो कि उपरोक्त विक्रेतागणो ने निम्न वर्णित भूमि विभिन्न विक्रय पत्रो द्वारा विक्रय की है विक्रय करने की तिथि से ही विक्रेतागणो निम्न वर्णित भूमि के भूमिधर, मालिक , स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि विक्रेतागणो ने निम्न प्रकार से प्राप्त की है

५२।

इस प्रकार विक्रेतागण निम्न वर्णित भूमि के से भूमिधर हुए तथा विक्रेतागण का नाम समस्त सरकारी अभिलेखो मे बतौर स्वामी दर्ज चला आ रहा है तथा विक्रेतागण उक्त भूमि के मालिक स्वामी व काबिज है उनको उक्त समपत्ति को विक्रय करने हेतु समस्त अधिकार प्राप्त है ।

विदित होकि निम्नलिखित भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त मे दिया गया है व जिसे आगे इस विक्रय पत्र मे विक्रीत भूमि लिखकर भी सम्बोधित किया गया ह

विक्रीत भूमि आज दिनांक हर प्रकार के भार बन्धन रहन कर कुडकी अदालत जमानत दान एवं कर्जा आदि से पूर्णतः मुक्त एवं रहित है तथा विक्रेतागण को भूमि विक्रय सम्बन्धित समस्त कानूनी अधिकार प्राप्त है यदि भविष्य मे कोई त्रुटि विक्रीत भूमि के स्वामित्व मे पायी जावेगी तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेतागणो की होगी और विक्रेतागण समस्त हर्जे–खर्चे के जिम्मेदार होगे ।

1 विदित हो कि विक्रेतागण द्वारा निम्न वर्णित भूमि मु0 7,50,000 मे विक्रय कर रहे है तथा विक्रय मूल्य पूर्व मे ही क्रेता से नगद प्राप्त कर लिया है।

2. यह कि कब्जा विक्रेतागणो ने विक्रीत भूमि से अपना हटाकर व उठाकर मौके पर क्रेता का अपने समान करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत भूमि से जिसप्रकार चाहे लाभ उठाये अपने उपयोग–उपभोग मे लावे निर्माण करे , काश्त करे , रिहायश करे , रास्ता नाली पानी हवा रोशनी आदि का उपयोग करे राजस्व अभिलेख मे अपन नाम दाखिल–खारिज करवाये या अन्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियो को विक्रय करे इसम हम विक्रेतागणो को कोई आपत्ति नही होगी ।

3. यह कि विक्रीत भूमि से सम्बन्धित आज तक के समस्त कर लगान आदि या अन्य कोई पाया जावे तो हम विक्रेतागणो के जिम्मे है व आज के बाद समस्त अदायगी की जिम्मेदारी स्वय क्रेता पर होगी ।

4. यह कि यदि हम विक्रेतागणो के अधिकार या स्वामित्व दोष के कारण विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग क्रेता के अधिकार या कब्जे से निकल जाता है तो ऐसी दशा मे क्रेता को अधिकार होगा कि वह हुई समस्त हानि व निकले हुए भाग भूमि की कुल कीमत मय खर्चा सहित विक्रेतागण से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे ।

425

5. यह कि क्रेता महोदय को अधिकार होगा कि वह निम्न वर्णित भूमि को किसी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्थान मे बन्धक रख सकता तथा संस्था के हित मे जो भी सम्भव हो वह समस्त कार्य करने का अधिकार क्रेता महोदय को होगा ।

6. यह कि निम्न वर्णित भूमि मे पूर्णरूप से स्वामित्व क्रेता महोदय का होगा ।

7. यह कि विक्रेतागण व हमारे समस्त उत्तराधिकारी , वारिसान हित–प्रतिनिधि स्थानापन्न आदि इस विक्रय पत्र के सदैव समान रूप से बाध्य व पाबन्द रहेगे व समझे जायेगे ।

वांछित विवरण

1. विक्रेतागण अनुसूचित जाति से सम्बन्धि नही है ।
2. विक्रीत भूमि पर कोई वृक्ष या बाग नही है ।
3. विक्रीत भूमि तहसील विकासनगर जिला देहरादून मे ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित है ।
4. पक्षकारो के मध्य कोई भी रजिस्टर्ड अनुबन्ध पत्र नही है ।
5. क्रेता के नाम मौजा नौगांवा मे दिनांक 12.09.2003 से पूर्व कृषि भूमि है तथा भूमि क्रय करने मे अध्यादेश सं0 29 वर्ष 2003 के प्राविधानो का उल्लंघन नही हो रहा है ।
6. विक्रीत भूमि मुख्य सड़क चकराता रोड से लगभग से 12 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित है
7. विक्रीत भूमि अंकन 7,50,000 रूपये मे विक्रीत की जा रही है परन्तु सरकारी रेट 10,00,000/–रूपये प्रति हैक्टयर है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि का मूल्य 14,10,000/–रूपये (चौदह लाख दस हजार रूपये मात्र) बनता है और इसी विक्रय मूल्य पर 1,41,400/–रूपये (एक लाख इकतलिस हजार रूपये मात्र) स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है ।

8. यह कि राजस्व अभिलेखो मे अंकित भूमिधरो ने अपनी भूमि विक्रय करने हेतु श्री सुधीर बसंल ने अपने सगे भाई श्री संजय बसंल को अपना पंजीकृत मुख्तारेआम नियुक्त किया हुआ है जेाकि बही नं0 04 जिल्द 171 पृष्ठ 122 ए0डी0फा0बुक नं0 4 जिल्द 186 पृष्ठ 899 से 908 मे नं0 323 पर दिनांक 13.03.2006 उपनिबन्धक सदर द्वितीय देहरादून मे पंजीकृत है तथा विक्रेता श्रीमती शालिनी बसंल ने अपने जेठ श्री संजय बसंल पुत्र श्री एच0पी0बसंल को अपना पंजीकृत मुख्तारेआम नियुक्त किया हुआ है । जोकि उक्त मुख्तारनामे दिनांक 13.03.2006 का उपनिबन्धक सदर द्वितीय देहरादून के कार्यालय में बही नं0 04 जिल्द 171 पृष्ठ 122 ए0डी0फा0बुक नं0 4 जिल्द 186 पृष्ठ 917 से 924 मे नं0 325 पर दिनांक 13.03.2006 विधिवत् पंजीकृत है तथा उक्त मुख्तारदातागण जीवित है तथा उन्होने कभी भी उक्त मुख्तारनामो को निरस्त नही किया है ।

9. यह कि विक्रेता श्री सुधीर बसंल ने दिनांक 13.03.2006 को एक पंजीकृत अनुबन्ध पत्र कब्जे सहित श्री संजय बसंल के हक मे सम्पादित किया हुआ है जिसपर नियमानुसार मु0 54,500/रूपये के स्टाम्प शुल्क अदा किया है जोकि बही नं0 01 जिल्द 633 पृष्ठ 7 ए0डी0फा0बुक नं0 1 जिल्द 682 पृष्ठ 305 से 316 मे नं0 1679 पर दिनांक 13.03.2006 उपनिबन्धक विकासनगर मे विधिवत दर्ज व अंकित है इसी प्रकार विक्रेता श्रीमती शालिनी बसंल ने दिनांक 13.03.2006 को एक पंजीकृत अनुबन्ध पत्र कब्जे सहित श्री संजय बसंल के हक मे सम्पादित किया हुआ है जिस पर नियमानुसार मु0 58,500/–रूपये के स्टाम्प शुल्क अदा किया है जोकि बही नं0 01 जिल्द 633 पृष्ठ 7 ए0डी0फा0बुक नं0 1 जिल्द 682 पृष्ठ 297 से 304 मे नं0 1678 पर दिनांक 13.03.2006 उपनिबन्धक विकासनगर मे विधिवत दर्ज व अंकित है इसप्रकार दोना अनुबन्ध पत्र पर मु0 1,13,000/–रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया है तथा इस समय विक्रय पत्र हेतु शेष मु0 28,000/–रूपये के स्टाम्प अदा किया जा रहा है ।

10. यह कि पंजीकृत अनुबन्ध पत्र की चरण सं0 7 के अनुसार द्वितीयपक्ष श्री संजय बंसल स्वंय या अपने मनोनीत व्यक्ति के नाम विक्रय पत्र सम्पादित करवा सकता है ।

विवरण विक्रीत भूमि

भूमिधरी भूमि खसरा नं0 810 ग रकबा 0.7290 हैक्टयर , खसरा नं0 810क रकबा 0.6800 हैक्टयर कुल रकबा 1.4090 हैक्टयर स्थित मौजा नौगांवा विकासखण्ड सहसपुर तहसील विकासनगर जिला देहरादून जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से है :-

पूरब मे	भूमि खसरा नं0 833 ।
पश्चिम मे	भूमि खसरा नं0 807 ।
उत्तर मे	भूमि खसरा नं0 805 ।
दक्षिण मे	भूमि खसरा नं0 810 ।

437

अत : यह विक्रय पत्र आज दिनांक 14.03.2007 को स्थान तहसील विकासनगर जिला देहरादून मे विक्रेतागण व क्रेता ने साक्षीगणो के समक्ष हस्ताक्षर करके अंकित किया है ताकि सनद रह तथा समय पर काम आवे ।

ह0 क्रेता..............................

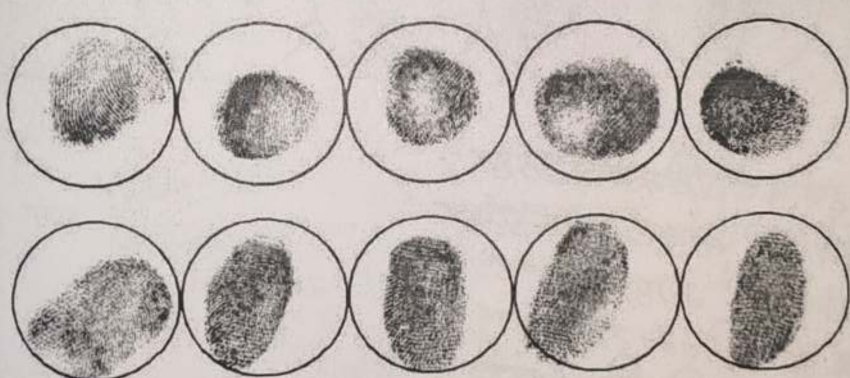

ह0 क्रेता..

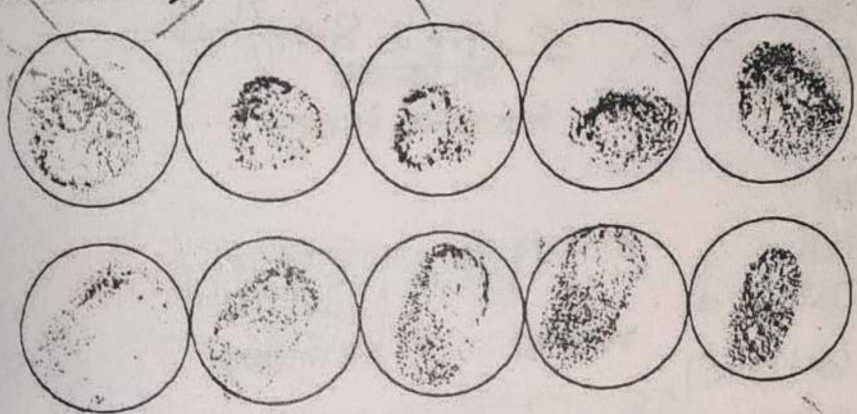

ह0 गवाह..
विमल नौडियाल
S/o स्व0 रामचन्द्र नौडियाल
नि0 भाऊवाला देहरादून

ह0गवाह..

रचियता :- वी0सी0 मिन्हास (एड्वोकेट) विकासनगर ।
टाईपकर्ता :- विभोर फोटो स्टूडियो विकासनगर

Sd S. Bansal (c) Sd. Sanjay (c) Sd V. Kandwal (c)

Sd J. Bhatt (c)

स्थगित की गई कि उ०प्र०सं० 74/07

शासन एवं कालीचरण के निर्णय (संपूर्ण) नियमानुसार किये गये हैं जो उपयुक्त प्रतीत होते हैं। Sd S. Srivastava

SR
14/3/07

Regn proceed.
Resumed vide
M. Bentley ADJ
57/08
SR
18/2/08

बही नं. I जिल्द 633 पृष्ठ 83 से 417
ए.डी.फा बुक नं. I जिल्द 1087 पृष्ठ 434
पर नं. 705 पर आज दिनांक 18/2/2008
को रजिस्ट्री की गई।

Sd M.L. Singhal
उप निबन्धक
विकासनगर, देहरादून

वाद सं० 57/08
ता० 13/2/08
प्रमाणित किया जाता है।
कमी स्टाम्प रु० 113000/-
तथा निबन्धन शुल्क 5000/-
एवं अर्थदण्ड 12000/- कुल रुपये 130,000/-
चा०नं० 5/51 दि० 14/2/08 का भुगतान श्रीमती
सीमा बंसल w/o श्री संजय बंसल निवासी 32/4 ई० सी० रोड देहरादून
द्वारा किया गया अतः दस्तावेज सही स्टाम्प घोषित
किया जाता है

Sd V. Suman
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

प्रतिलिपि को सत्यप्रतिलिपि की
रचना की
[signature]
उप निबन्धक